राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.518 पार्ट सीसी/स्वा.का.पु./2018/1620 दिनांक : 13/6/18

आदेश

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16970/12 श्री सरोजबाला गुप्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 29.03.2013 की पालना में निदेशालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.518 पार्ट सीसी/स्वा.का.पु./2018/291 दिनांक 12.02.18 के द्वारा याचिकाकर्ता श्री सरोजबाला गुप्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष को नियमित नियुक्ति तिथि से गणना कर 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पर क्रमशः 1200–2050/4000–6000 एवं 1640–2900/5500–9000 की संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला एवं दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अध्याधीन स्वीकृत की गई थी।

उक्त आदेश को राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101802763 दिनांक 18.05.18 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग की आई.डी. संख्या 1012 दिनांक 21.05.2018 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.518 पार्ट सीसी/स्वा.का.पु./2018/1620 दिनांक : 13/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वेास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101802763 दिनांक 18.05.2018 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 1012 दिनांक 21.05.2018 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर